सं.31011/8/89-स्था.(क)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैंशन एवं पैंशनभोगी कल्याण मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक- 8.5.1990

कार्यालय ज्ञापन

विषयः पति और पत्नी के सरकारी सेवक होने और साथ निवास करने की स्थिति में छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) की स्वीकार्यता।

*****

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि पूरक नियम 2(8) के अंतर्गत दी गई परिवार की परिभाषा, जो अन्य बातों के साथ-साथ छुट्टी यात्रा रियायत की स्वीकार्यता के उद्देश्य से भी लागू होती है, के अनुसार किसी लोक सेवक के परिवार में सरकारी सेवक के साथ निवास करने वाले पति अथवा पत्नी, जैसा मामला हो और साथ में रहने वाले बच्चे तथा सरकारी सेवक पर पूर्ण रूप से आश्रित व्यक्ति शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें माता-पिता, बहनें और अवयस्क भाई, यदि वे सरकारी सेवक के साथ निवास कर रहे हैं और उस पर पूर्ण रूप से आश्रित हैं, शामिल होते हैं।

2. मौजूदा स्थिति के अनुसार यदि पति और पत्नी सरकारी सेवक हैं और साथ में निवास कर रहे हैं, तो वे छुट्टी यात्रा रियायत हेतु एक परिवार इकाई माने जाते हैं और उनमें से केवल एक इस रियायत का दावा कर सकता है तथा दूसरा जीवन-साथी उसके परिवार के सदस्य के रूप में यात्रा करता है। ऐसी स्थिति में, सरकारी सेवकों के लिए एक ही गृह नगर की संयुक्त घोषणा करना आवश्यक होता है, जो दोनों जीवन-साथियों में किसी एक का गृह नगर अथवा कोई तीसरा स्थान हो सकता है। इसलिए, वह जीवन-साथी जो दूसरे जीवन-साथी के परिवार के सदस्य के रूप में छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ लेता है, अपने माता-पिता अथवा आश्रित अवयस्क भाइयों और बहनों के लिए अलग से लाभ का दावा नहीं कर सकता भले ही वे उसके साथ निवास कर रहे हों। दूसरी ओर, जहां किसी दम्पत्ति में दोनों सरकारी सेवक हैं और अलग-अलग निवास कर रहे हैं तथा अपने-अपने गृह नगर के रूप में दो अलग-अलग स्थानों को घोषित करते हैं, तो वैसी स्थिति में अपने आश्रित माता-पिता, अवयस्क भाइयों और बहनों के लिए एलटीसी के लाभ का अलग-अलग दावा कर सकते हैं। इसलिए, जब पति और पत्नी दोनों सरकारी सेवक हैं तथा दोनों साथ-साथ रह रहे हैं, तो उनके द्वारा एक ही गृह नगर की घोषणा करने के कारण उनका कुछ अहित होता है तथा उनमें से केवल एक छुट्टी यात्रा रियायत का दावा कर सकता है। इस मामले पर वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के साथ परामर्श कर विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि जहां पति और पत्नी दोनों सरकारी सेवक हों, उस स्थिति में अपने विकल्प के अनुसार अलग-अलग गृह नगर घोषित कर सकते हैं और दोनों, सीसीएस (एलटीसी) के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत रियायत का दावा कर सकते हैं जो इस शर्त के अधीन होगा कि यदि पति अथवा पत्नी एक-दूसरे के परिवार के सदस्य के लिए लाभ लेते हैं, तो वे (पति-पत्नी) अपने लिए स्वंतत्र रूप से रियायत लेने के हकदार नहीं होंगे। इसी प्रकार, बच्चे किसी एक ब्लॉक वर्ष में माता-पिता में से किसी एक के परिवार के सदस्य के रूप में लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) की स्वीकार्यता हेतु अन्य सभी शर्तें, स्कीम के सामान्य प्रावधानों के अनुसार जारी रहेंगी।

3. उपर्युक्त निर्णय ब्लॉक वर्ष 1990-1991 के लिए एलटीसी लेने के लिए की गई यात्रा पर लागू होगा।

4. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में सेवारत कार्मिकों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाएंगे।

ह०

(के. सरकार)
उप सचिव, भारत सरकार

सं. 31011/8/89-स्था.(क) नई दिल्ली, दिनांक 8 मई, 1990

प्रति प्रेषितः-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (आवश्यक अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
2. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
4. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
5. पंजीयक, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
6. भाषायी अल्पसंख्यक आयोग, इलाहाबाद।
7. लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय।
8. सभी संघ क्षेत्र प्रशासन।
9. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
10. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी अधिकारी और अनुभाग।
11. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, फरीदकोट हाऊस, कॉपरनिक्स मार्ग।

(के. सरकार)
उप सचिव, भारत सरकार